OKDER - SHEET JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS Order or Proceedings with Signature of Presiding Officer Sign Signature of Parties of Proceedings pleaders where Necessary 18-5/7 आज आरक्षी केन्द्र जिल्लाम् अरक्षक उपनिशेक्षक / सहायक अरक्षक / आरक्षक / आरक्षक / आरक्षक / अरक्षक / अरक्ष के0 11.7 हारा थाना प्रभारी की ओर से अपराध भाठदाठराठ/ अधीन दण्डनीय अपराध के सबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री... अभियुक्त / अभियुक्तगण. उत्पायक्र गार्थ इकि निर्देश है। इकि विद्या कि विद्या थाना निर्मित्र जिला निर्मियुक्ति। अभियुक्तनण की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारा मेमोरेण्डम/वकालतनामा प्रस्त्त किया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियाग। पित्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उंपरोक्तान्सार भारदंग्सं० / अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा। 190-(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरणं का पंजीयन आपराधिक पजी... 91/17. में दर्ज

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग 'पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निः शुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000/- (सात हजार रूपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि। का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जा्ये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से म्कता किया जाये।

चूकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अत सक्षिप्त विचारण प्रारम् किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 34 अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छ्या स्वीकार किया। अतः अभिदाक् यथा समव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं किया गया। अर्थदण्ड के सदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को निर्णा दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली। जाये।

जप्तसुदा संपत्ति होने से नष्ट कर किये जाये। संपत्ति 20 क्लारी पृत्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया, जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

Judicial magistrate hist class.

Gohad Dist. Bhind (M.P)

पुनंश्चः

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/ रूपये अदा की जिसकी पावती बुक

अभियुक्त / अभियुक्त गण को राजा भुगताई गई।

प्रकरण उपराक्त निदेश अनुसार संचित हो।

A.K.CUMB

Judicial magistrate institution

3310130131